'राजस्थान के टपूकड़ा संयंत्र में इसी साल शुरू होगा होण्डा के इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया होण्डा के पहले ईवी मॉडल का अनावरण

जयपुर (कासं)। होण्डा की ओर से पहला इलेक्ट्रिक वाहन प्रदेश के टपूकड़ा संयंत्र में बनेगा, जिसका उत्पादन इसी वर्ष शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में होण्डा कार्स इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में होण्डा के पहले ईवी मॉडल (होण्डा 0 अल्फा) का अनावरण किया।

'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' की तैयारियों के तहत सितंबर 2024 में जापान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने होण्डा के शीर्ष प्रबंधन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' के आव्हान के समर्थन में राजस्थान में ईवी मॉडल निर्माण एवं निवेश के लिए आमंत्रण किया था। साथ ही, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था। जिसको लेकर होण्डा के प्रतिनिधिमंडल ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हरित ऊर्जा एवं ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही, देश के ऑटोमोटिव भविष्य में राज्य की मजबूत भूमिका के लिए निवेशों का समर्थन करती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में होण्डा कार्स इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में होण्डा के पहले ईवी मॉडल (होण्डा 0 अल्फा) का अनावरण किया।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं होने एवं इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन यहां होने से अर्थव्यवस्था की गति और तेज होगी। शर्मा ने कहा कि होण्डा टपूकड़ा संयंत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रमुख उत्पादन केंद्र बनाने जा रही है, जो राजस्थान की प्रभावशाली निवेश नीतियों पर वैश्विक विश्वास का बेहतरीन प्रमाण है। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की दिशा में इसके बाद और निवेश बढ़ने की प्रबल संभावना होगी। साथ ही, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने एवं पर्यावरणीय संतुलन के साथ औद्योगिक विकास की यात्रा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।

> ■ होण्डा द्वारा पहले इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन के लिए राजस्थान के टपूकड़ा संयंत्र को चुनना गर्व की बात : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने कहा कि होण्डा कम्पनी का राजस्थान से जुड़ाव काफी पुराना है। 2007 में कम्पनी के संयंत्र का शिलान्यास, 2014 में वाहनों का उत्पादन प्रारम्भ होना और अब 2026 में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले उत्पादन के लिए टपूकड़ा संयंत्र का चयन राजस्थान के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से स्वच्छ परिवहन की दिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु ईवी खरीद पर अनुदान, सिंगल विण्डो सिस्टम के साथ चार्जिंग स्टेशन्स की स्थापना की जा रही है। साथ ही, 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन को स्क्रैप कराने एवं नए वाहन की खरीद पर 'राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति' के तहत छूट भी दी जा रही है।

बैठक के दौरान कंपनी की ओर से भारत में अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए योजनाएं भी साझा की गई। साथ ही बताया गया कि यहां उत्पादित मेड इन इंडिया ईवी मॉडल घरेलू बाजार के साथ ही कई देशों में निर्यात किए जाएंगे।

होण्डा कार्स इंडिया लिमिटेड के प्रेसिडेंट एवं सीईओ ताकाशी नाकाजिमा ने बताया कि टपूकड़ा संयंत्र भारत में होण्डा के लिए एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है, जो भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए कारों और पुर्जों का निर्माण करता है। अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर कंपनी की ओर से लिया गया यह फैसला महत्वपूर्ण साबित होगा।

उन्होंने बताया कि होण्डा ने अपने सप्लायर्स और दोपहिया संयंत्र के जरिए राजस्थान में ऑटो और ऑटोपार्ट्स की सप्लाई चेन का एक पूरा इको-सिस्टम तैयार किया है। बैठक में जापान से आए होण्डा प्रतिनिधिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

द्रव्यवती नदी में अशोधित सीवर रोकने का काम जून तक पूरा करने के निर्देश

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने किया मौका निरीक्षण

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि ने शनिवार को जयपुर में द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन, निदेशक अभियांत्रिकी देवेन्द्र गुप्ता और संबंधित अधिशासी अभियंता मौजूद थे।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि ने शनिवार को जयपुर में द्रव्यवती नदी के जल को स्वच्छ बनाए रखने और अशोधित सीवर रोकने के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन, निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम देवेन्द्र गुप्ता, संबंधित अधिशासी अभियंता तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान उन्हें बताया गया की दहलावास एसटीपी को जाने वाली सीवर लाइन में क्षमता से अधिक सीवर प्राप्त होने के कारण अतिरिक्त सीवर को डायवर्ट कर द्रव्यवती नदी में प्रवाहित किया जा रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नई सीवर पाइपलाइन डालने का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से अतिरिक्त सीवर को पूर्व स्थापित 100 एमएलडी एसटीपी से जोड़ा जा रहा है, ताकि सीवर का समुचित शोधन सुनिश्चित किया जा सके और द्रव्यवती नदी में प्रदूषण रोका जा सके।प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह कार्य जल्द पूर्ण किया जाए, ताकि राज्य सरकार के मंशानुरूप द्रव्यवती नदी के जल को स्वच्छ बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिल सके।

बीएसएनएल के पूर्व अतिरिक्त महाप्रबंधक को दोषमुक्त किया

जयपुर । जयपुर मेट्रो-प्रथम की सीबीआई मामलों की विशेष कोर्ट ने 10 साल पुराने रिश्वत मामले में बीएसएनएल के तत्कालीन अतिरिक्त महाप्रबंधक बिपिन कुमार रॉय को दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल रिश्वत राशि की बरामदगी मात्र से ही आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं मान सकते। यह भी जरूरी है कि अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्यों के जरिए साबित करे कि आरोपी ने वास्तव में रिश्वत मांगी और उसे स्वेच्छा से स्वीकार किया था। अभियोजन पक्ष आरोपी का रिश्वत की मांग और उसकी स्वैच्छिक स्वीकृति को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

मुख्यमंत्री ने एलपीजी सिलेंडर वितरण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में एलपीजी सिलेण्डर की वितरण प्रणाली पर कड़ी निगरानी रखने एवं जमाखोरी व कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में घरेलू एलपीजी सिलेण्डर की आपूर्ति के लिए कोई कमी नहीं है तथा आम उपभोक्ताओं को इसकी निर्बाध आपूर्ति जारी है। शर्मा ने कहा कि आम जनता में घरेलू एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर विश्वास बनाए रखा जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या दुरुपयोग पाए जाने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि हेल्पलाइन नंबर 181, 112 और 14435 पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी त्वरित और प्राथमिकता पर समाधान किया जाए। साथ ही, उन्होंने अफवाहएवं भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर निगरानी रखते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एलपीजी उपलब्धता से लेकर आपूर्ति तक की मॉनिटरिंग की जा रही है तथा ग्राउंड लेवल पर अधिकारियों की टीमों द्वारा निरीक्षण एवं कार्रवाइयां की जा रही हैं। बैठक में राज्य स्तरीय समन्वय ऑयल कम्पनीज के प्रतिनिधि ने एलपीजी के स्टॉक एवं सप्लाई की जानकारी दी।

> ■ गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री करेंगे "एक जिला-एक उत्पाद' प्रदर्शनी का शुभारंभ

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान दिवस (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा) के अवसर पर प्रदेश में 14-19 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा 15-19 मार्च तक राज्य स्तरीय ओडीओपी (एक जिला-एक उत्पाद) प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही, सभी जिलों में आयोजित होने वाली ओडीओपी प्रदर्शनी के क्रम में जिला स्तरीय प्रदर्शनी 'जयपुर रत्नम्' का आयोजन होगा।

एसीएस होम-एसीएस डीओपी व पंकज चौधरी मध्यस्थता के जरिए सुलझाएं विवाद : कैट

जयपुर । केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जयपुर बेंच ने पदोन्नित मामले में आईपीएस पंकज चौधरी सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह (एसीएस होम) और अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक (एसीएस डीओपी) को कहा है कि वे मध्यस्थता व आपसी बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाएं। साथ ही केट ने तीन सप्ताह का समय देते हुए उम्मीद जताई है कि इस बातचीत के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कैट ने यह निर्देश पंकज चौधरी के मूल प्रार्थना पत्र पर दिया। कैट ने कहा कि पक्षकारों से जुड़े कई प्रार्थना पत्र उनके यहां लंबित हैं। प्रार्थी राज्य में एक आईपीएस अफसर है और उनके समक्ष लंबित मामले समान प्रकृति के हैं। कैट की राय है कि इससे कोर्ट और राजस्थान पुलिस प्रशासन का कीमती समय बचेगा जो प्रदेश की जनता के हित में हैं। एक बेहतरीन पब्लिक सर्विस के अफसरों की सेवाओं का जनता के लिए अच्छा उपयोग किया जाना चाहिए। दरअसल पिछली सुनवाई पर कैट ने राज्य सरकार को कहा था कि वह डीपीसी के तहत उनके बकाया चल रहे प्रमोशन पर प्रोविजनल तौर पर विचार करे। प्रार्थी के अधिवक्ता अनुपम अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। प्रार्थी के खिलाफ चल रहे केसों के कारण तीन प्रमोशन बकाया हैं। इनमें साल 2018 से जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव और 2021 से सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक के प्रमोशन शामिल हैं। साल 2023 से उनका डीआईजी रैंक का प्रमोशन रुका हुआ है। जिन मामलों की वजह से उनका प्रमोशन रोका है, उनकी जांच पूरी नहीं हुई है।

हाउसिंग बोर्ड को अवाप्तशुदा जमीन मामले में राहत

माण्डया एन्क्लेव समिति के पक्ष में दिया स्टे आदेश रद्द

जयपुर (कासं)। गोनेर के सिरोली में हाउसिंग बोर्ड की 15 साल पहले अवाप्त की गई करीब 100 करोड़ रुपए की 5.90 हेक्टेयर जमीन से जुड़े मामले में जयपुर मेट्रो- प्रथम की एडीजे कोर्ट-एक ने सिविल कोर्ट के 21 जनवरी 2026 के माण्डया एन्क्लेव योजना विकास समिति के पक्ष में दिया आदेश रद्द कर दिया है।

एडीजे कोर्ट ने कहा कि दावाकर्ता समिति जेडीए के जिन पट्टों के आधार पर जमीन पर अपना स्वामित्व लेकर आए हैं, उन पट्टों के संबंध में विवादित भूमि की 90 ए की कार्रवाई जेडीए ने ही निरस्त कर दी है। वहीं विवादित जमीन हाउसिंग बोर्ड के अवाप्तधीन होना जमाबंदी में भी अंकित है। ऐसे में दावाकर्ता जेडीए की ओर से जारी किए गए पट्टों के आधार पर किसी तरह का अधिकार प्रथम दृष्टया साबित नहीं कर पाए हैं। इसलिए सिविल कोर्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश गलत है और रद्द किए जाने योग्य है।

> ■ गोनेर के सिरोली में हाउसिंग बोर्ड की 15 साल पहले अवाप्त की गई करीब 100 करोड़ रुपए की 5.90 हेक्टेयर जमीन का प्रकरण

एडीजे कोर्ट ने यह आदेश हाउसिंग बोर्ड की अपील पर दिया। अधिवक्ता बीसी भारद्वाज ने बताया कि संबंधित जमीन की अवाप्ति के लिए हाउसिंग बोर्ड ने 12 अगस्त 2010 को ही अवाप्ति नोटिस जारी कर 16 सितंबर 2011 को इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। संबंधित भूमि पहले से अधिग्रहण प्रक्रिया में है और 13 अप्रैल 2017 को अंतिम अवॉर्ड भी पारित हो चुका है। इसे समिति ने चुनौती नहीं दी है और समिति के पेश पट्टों की वैधता भी विवादित है। ऐसे में सिविल कोर्ट ने समिति के पक्ष में दिया स्टे आदेश गलत है जिसे रद्द किया जाए।

गौरतलब है कि समिति ने 2025 में सिविल कोर्ट में दायर दावे में कहा था कि सिरोली स्थित कई खसरा नंबरों की जमीन पर उनके सदस्यों के प्लॉट हैं। जेडीए से 2013 में भूमि उपयोग परिवर्तन स्वीकृत हुआ और उन्हें प्लॉटों के पट्टे जारी किए थे। लेकिन हाउसिंग बोर्ड 16 सितंबर 2011 की अधिसूचना पर उनकी योजना के भूखंडों पर कब्जा करना चाह रहा है और निर्माण कार्य में रुकावट कर रहा है। सिविल कोर्ट ने 21 जनवरी 2026 के आदेश से हाउसिंग बोर्ड को जमीन पर दखल करने से रोका था।

महिलाओं व बच्चियों तक पहुंचे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई महिला अधिकारिता निदेशालय की समीक्षा बैठक

जयपुर । उपमुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शनिवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा संचालित महिला अधिकारों के संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा संचालित उड़ान योजना के तहत बालिकाओं और महिलाओं को दिए जाने वाले नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन आपूर्ति समयबद्धता से सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत योजना के दिशा निर्देशों एवं पोर्टल का अध्ययन कर उसे आमजन हेतु सुगम एवं प्रभावी बनाने निर्देश दिए। उन्होंने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत भारत सरकार से बकाया बजट प्राप्त कर, बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

दिया कुमारी ने पिछले वर्ष की बजट घोषणाओं को समयबद्धता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने आगामी वित्तीय वर्ष की बजट घोषणाओं को भी समय पर पूर्ण करने हेतु आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को सचिवालय में महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लाडो प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत बालिकाओं को लाभान्वित करने हेतु योजना का प्रभावी पर्यवेक्षण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु निर्देश दिए।